

आवेदन पत्र भरने हेतु दिशा-निर्देश :

(कृपया आवेदन पत्र को भरने से पूर्व विस्तृत विज्ञप्ति तथा ऑनलाईन आवेदन में यथा स्थान एवं नीचे दिये गये दिशा-निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लें व समझ लें। किसी भी कारणवश त्रुटिपूर्वक भरा गया आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा)

1- आवेदन पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में ही भरा जाना है।

2- आवेदन पत्र पर जाने के लिये अपना मोबाईल नंबर भरें जिस पर आपको ओ.टी.पी. प्राप्त होगा। इसे दिये गये स्थान पर भरें। तत्पश्चात् अपना आधार नंबर एवं कैप्चा दर्ज करें जिससे आधार लिंकड मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. के माध्यम से ओटीपी प्राप्त होगा जिसे दिये गये स्थान पर दर्ज करने पर आपको जिस पद हेतु आवेदन करना है, उसका विकल्प प्राप्त होगा जिसमें से एक विकल्प का चयन कर आगे बढ़ना होगा।

3- आवेदक द्वारा एक मोबाईल नंबर से, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता धारित करने की स्थिति में, प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का एक ही फॉर्म भरा जा सकता है (उदाहरण के तौर पर एक मोबाईल नंबर से एक नर्सिंग ऑफिसर (NTSP), एक फॉर्मासिस्ट (NTSP) एवं एक फॉर्मासिस्ट (TSP) का एक-एक ही आवेदन भर सकते हैं)

4- आवेदक स्वयं की आधार संख्या सावधानी पूर्वक अंकित करें। आधार संख्या गलत होने पर किसी भी स्तर पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। यदि आवेदन पत्र सबमिट करने के पश्चात भी आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है तो विज्ञप्ति में वर्णित शर्तों की सीमा में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को सही करने के लिए संशोधन हेतु दी गई अवधि में निर्धारित शुल्क जमा करवाकर आवेदन में सही प्रविष्टि अंकित करने का अवसर दिया जायेगा।

5- आवेदक स्वयं / माता / पिता/ पति / पत्नी का नाम दस्तावेजों में अंकितानुसार सही अंकित करें।

6- आवेदक अपना लिंग, राष्ट्रीयता एवं धर्म सही अंकित करें। राष्ट्रीयता में अन्य का विकल्प चुनने पर भारत सरकार द्वारा इस हेतु प्रदत्त पात्रता का प्रमाण पत्र धारित करने वाले आवेदक ही पात्र माने जायेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य देशों की नागरिकता होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

7- जन्म दिनांक सेकेन्डरी परीक्षा अंकतालिका / प्रमाण पत्र के अनुसार सही अंकित करें एवं सम्बन्धित दस्तावेज ऑनलाईन आवेदन पत्र में यथास्थान अपलोड करें।

8- आवेदक अपनी श्रेणी का अंकन सावधानी पूर्वक करें एवं सम्बन्धित दस्तावेज ऑनलाईन आवेदन पत्र में यथास्थान अपलोड करें। आवेदक द्वारा भरी गई श्रेणी एवं अपलोड किये गए जाति प्रमाण-पत्र के समान होने पर ही संबंधित श्रेणी में नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। आवेदक का जाति प्रमाण-पत्र पिता के नाम से जारी होने पर ही आरक्षण श्रेणी का लाभ दिया जायेगा। ओ.बी.सी. / एम.बी.सी. वर्ग का लाभ उन्हीं आवेदकों को देय है जिन्होंने ओ.बी.सी. नॉन क्रीमीलेयर / एम.बी.सी. नॉन क्रीमीलेयर वर्ग का पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र अपलोड किया है। ओ.बी.सी. क्रीमीलेयर / एम.बी.सी. क्रीमीलेयर वर्ग की गणना अनारक्षित वर्ग में की जायेगी। एम.बी.सी. वर्ग के आवेदक नवीनतम प्रमाण-पत्र ओ.बी.सी. प्रपत्र में भी संलग्न कर सकते हैं जिसमें एम.बी.सी. वर्ग में सम्मिलित जाति का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये किन्तु आवेदन पत्र में स्वयं का वर्ग एम.बी.सी. ही लिखें तभी उन्हें एम.बी.सी. आरक्षण का लाभ देय होगा। एम.बी.सी. वर्ग के आवेदकों को ओ.बी.सी. वर्ग आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा एवं बाद में श्रेणी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

9- ओ.बी. सी. / एम.बी.सी. नॉन क्रीमीलेयर के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों को ओ.बी.सी / एम. बी. सी. नॉन-क्रीमीलेयर श्रेणी का प्रमाण-पत्र लगाना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें सामान्य श्रेणी में माना जायेगा। आवेदन प्रक्रिया बन्द होने के बाद में नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी परिवर्तन नहीं किया जायेगा। अतः इस श्रेणी के आवेदक सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रमाण-पत्र नॉन-क्रीमीलेयर का ही है।

10- आवेदक वे ही समस्त दस्तावेज अपलोड करें जो उनके द्वारा दी गई जानकारी प्रमाणित करते हो। आवेदन पत्र में भरी गई सूचना और अपलोड किये गये दस्तावेज के मेल नहीं होने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

11- आवेदक इस बात का ध्यान रखे कि केवल निर्धारित स्पेसिफिकेशन वाले दस्तावेज ही अपलोड हो सकेंगे।

12- आवेदक केवल एक ही व्यावसायिक योग्यता का चयन कर सकेंगे। अतः आवेदको से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने लिये बेहतर प्राप्तांक वाली योग्यता का चुनाव करेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें डिप्लोमा पूर्ण करने के पश्चात डिग्री कोर्स में सीधे द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिया गया है, वे यदि डिग्री कोर्स को व्यावसायिक योग्यता के रूप में चुनना चाह रहे हैं एवं इस आधार पर मैरिट में स्थान बनाना चाहते हैं, तो डिग्री के प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित स्थान पर डिप्लोमा के प्राप्तांक एवं अंकतालिकाएं अपलोड करें एवं शेष वर्षों हेतु डिग्री की अंकतालिकाएं अपलोड करें।

13- अभ्यर्थी को अपनी व्यावसायिक योग्यता की समस्त अंकतालिकाएं (बैकलॉग सहित) वर्षवार अपलोड करनी अनिवार्य हैं। बैकलॉग की अंकतालिकाओं को वर्षवार अपलोड करने के लिए Add More Option का प्रयोग कर बैकलॉग की अंकतालिकाएं अपलोड करें।

14- उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के आवेदकों को जैसी प्रविष्टि है उसका ही प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा अन्यथा उन्हें इस श्रेणी के आरक्षण का लाभ नियमानुसार नहीं मिलेगा।

15- विशेष योग्यजन श्रेणी में विज्ञापित पद हेतु जिस कैटेगरी के आवेदक आवेदन कर सकते हैं, उनकी सूची डॉपडाउन लिस्ट में दी गई है एवं नोट में भी उल्लेखित कर दिया गया है। अतः केवल आवेदन में दर्शायी गई कैटेगरी के आवेदक ही विज्ञापित पद हेतु आवेदन करें। अन्य कैटेगरी के आवेदक आवेदन के पात्र नहीं हैं।

16- विच्छिन्न विवाह श्रेणी की महिला आवेदकों को आवेदन की अन्तिम दिनांक तक माननीय न्यायालय की डिक्री प्राप्त होना व आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है अन्यथा इस श्रेणी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

17- भूतपूर्व सैनिक वर्ग में आवेदन करने वाले आवेदक पीपीओ नम्बर अवश्य भरे साथ ही संबंधित दस्तावेज की प्रति अपलोड करें।

18- आवेदक को पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त अपना फार्म सबमिट करना चाहिये। निर्धारित फीस जमा कराने पर फार्म सबमिट होगा व इसका प्रिन्ट भी लिया जा सकेगा। आवेदक फार्म सबमिट होने के बाद इसका प्रिन्ट अवश्य प्राप्त कर ले, जिसे दस्तावेज सत्यापन के समय साथ लाना होगा एवं यह त्रुटि सुधार हेतु भी आवश्यक है।

19-यदि आवेदक अभी आवेदन-पत्र सबमिट नहीं करना चाहता है तो सेव का ऑप्शन चयन कर सेव कर सकता है जिसे बाद में उपरोक्त मोबाईल नम्बर का इस्तेमाल कर ओ.टी.पी. के माध्यम से पुनः खोला जा सकेगा।

20-एक बार फीस जमा कर सबमिट कर देने के बाद यदि आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि रह गई है जिसका आवेदक सुधार करना चाहता है तो विज्ञप्ति में वर्णित शर्तों की सीमा में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को सही करने के लिए त्रुटि सुधार हेतु दिये जाने वाली अवधि के दौरान निर्धारित शुल्क जमा कराकर फार्म में एडिटिंग (त्रुटि सुधार) किया जाना संभव हो सकेगा।

21-आवेदन पत्र में “ सेल्फ चैक एण्ड रेगुलेट “ प्रणाली का प्रयोग किया गया है ,अर्थात यदि फॉर्म की एक प्रविष्टि किसी अन्य प्रविष्टि से लिंकड है, जैसे आवेदन शुल्क एवं जाति वर्ग, तो दोनों प्रविष्टि सही भरनी होगी अन्यथा फार्म आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसी प्रविष्टि जिन्हें भरा जाना अनिवार्य है, उन्हें भरे बिना आवेदन आगे नहीं बढ़ेगा।

22-किसी भी प्रकार की अपात्रता या असंगतता होने पर आवेदन पत्र आगे नहीं बढ़ेगा।

23-अपलोड किया जाने वाला दस्तावेज स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य होना चाहिए यदि दस्तावेज की प्रति अस्पष्ट है या आपके द्वारा भरी गई प्रविष्टियों से इसका मिलान नहीं होता है, तो आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। यदि दस्तावेज संलग्न नहीं है, तो भी आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। एक बार में केवल एक दस्तावेज ही यथास्थान अपलोड करें। एक स्थान पर एक से अधिक दस्तावेजों की एक इकजाई फाईल बनाकर अपलोड नहीं करें, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

24-आधार ओ.टी.पी. आधार के सर्वर से प्राप्त होता है जिसमें कई बार समय भी लग सकता है । अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना आवेदन फार्म पर्याप्त समय रहते हुए भरने का प्रयास करेंगे ताकि अनावश्यक विलम्ब के कारण उत्पन्न हो सकने वाली परिस्थितियों के विपरीत प्रभाव से बचा जा सके ।

25-आवेदन पत्र हिन्दी व अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है किन्तु अंतिम तौर पर अंग्रेज़ी भाषा की व्याख्या ही मान्य होगी ।

26-प्रिन्ट लेने से पूर्व देख लें कि आपका आवेदन आई.डी. व भुगतान संबंधी आई.डी. प्राप्त हो गया है। यदि आवेदन शुल्क भुगतान कर फार्म सबमिट कर देने के बाद प्रिन्ट प्रिव्यू में Application ID या Transaction ID या दोनो ही अंकित नहीं हो तो एक बार लॉग-आउट कर पुनःलॉग-इन करें। किसी भी तकनीकी सहायता हेतु हेल्पलाईन नं. पर सम्पर्क करें।

27.किसी भी माध्यम से भुगतान हेतु सेवा प्रदाता द्वारा लिया जाने वाला शुल्क आवेदन शुल्क राशि के अतिरिक्त होगा जो आवेदक द्वारा ही वहन किया जायेगा।